उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या:01/2022/372/46-3-3(31)/2006

लखनऊ दिनांक: 27 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953) की धारा 28 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं:-

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (बत्तीसवां संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी।

(2) उक्त नियमावली का नियम-2 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से तथा शेष नियम गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक में प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

नियम 70 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954, (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 70 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-दो** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
70- वह व्यक्ति, जो "फैक्ट्री का अध्यासी" प्रख्यापित किया गया हो **पचास हजार रुपया** नकद अथवा सरकारी सिक्योरिटियों में, जिसका बाजार मूल्य **पचास हजार रुपया** हो, अथवा पोस्ट आफिस कैश सर्टीफिकेट, जिसका वर्तमान भंजाने का मूल्य **पचास हजार रुपया** हो, जमानत के रूप में जमा करेगा। ऐसी जमानत कलेक्टर के यहां जमा की जायेगी और उस समय तक रखी जायेगी, जब तक वह व्यक्ति अध्यासी के रूप में कार्य करे : किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर लेखबद्ध किये गये कारणों से जमानत जमा करने से छूट दे सकता है अथवा वह जमानत की धनराशि उस सीमा तक कम कर सकता है, जितनी वह उचित समझे।	70-'किसी कारखाना का अध्यासी' के रूप में घोषित व्यक्ति **एक लाख रुपया** नकद अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में, जिनका बाजार मूल्य **एक लाख रुपया** हो, अथवा पोस्ट ऑफिस नकद प्रमाणपत्र, जिसका वर्तमान नकदीकरण का मूल्य **एक लाख रुपया** हो, प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा। ऐसी प्रतिभूति कलेक्टर के यहां जमा की जायेगी और उसे उस समय तक प्रतिधारित की जायेगी, जब तक उक्त व्यक्ति अध्यासी के रूप में कार्य करेगा। प्रतिबन्ध यह है कि कलेक्टर लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से प्रतिभूति जमा करने से अभिमुक्ति प्रदान कर सकता है अथवा वह ऐसी लघुतर प्रतिभूति, जमा, जैसा कि वह उचित समझे, की अनुज्ञा दे सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम 89 का संशोधन

2. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-एक में दिये गये नियम 89 के स्थान पर, स्तम्भ-दो में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-एक **विद्यमान नियम**	**स्तम्भ-दो** **एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम**
89-धारा-88 के अधीन लाइसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर परिशिष्ट 3 के आकार-पत्र 2 में लाइसेन्स जारी कर सकता है। ऐसे नियम के अधीन लाइसेन्स देने के पूर्व लाइसेन्स की शर्तों का ठीक से पालन कराने के लिए कलेक्टर अधिक से अधिक **बीस हजार रुपया** तक की नकद अथवा गवर्नमेन्ट सिक्योरिटी में जमानत मांग सकता है।	89-नियम-88 के अधीन लाइसेन्स के लिए प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये जाने पर, कलेक्टर परिशिष्ट तीन के प्रपत्र दो में लाइसेन्स जारी कर सकता है। इस नियम के अधीन लाइसेन्स प्रदान करने के पूर्व कलेक्टर लाइसेन्स की शर्तों का सम्यक रूप से अनुपालन किये जाने हेतु अनधिक **दस हजार रुपया** नकद प्रतिभूति अथवा सरकारी प्रतिभूतियों की मांग कर सकता है।

आज्ञा से,
(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:01/2022/372(1)/46-3-22-3(31)/2006, तद्दीनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) 1/2 तथा लेखा परीक्षा-1/2 उ.प्र., प्रयागराज।
2. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ.प्र. ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी तथा अंग्रेजी की प्रति हस्ताक्षरित एक-एक प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचनाओं को दिनांक 27 **अप्रैल, 2022** के असाधारण गजट अंक विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में उसकी 1000 प्रतियाँ (प्रत्येक की) प्रकाशित कराकर शासन के चीनी उद्योग अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सचिवालय, द्वितीय तल, बापू भवन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. आयुक्त गन्ना एवं चीनी उ.प्र. लखनऊ।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र./उन जनपदों को जहाँ चीनी मिलें स्थित हैं।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुशील कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Uttar Pradesh Shasan
Chini Udyog Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.**01/2022/372/46-3-22-3(31)/2006** dated: April, 2022

Notification
No.01/2022/372/46-3-22-3(31)/2006
Lucknow; dated: 27 April, 2022

In exercise of the powers under section 28 of the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 (U.P. Act no.XXIV of 1953) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954 :-

THE UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE) (THIRTY SECOND AMENDMENT) RULES, 2022.

Short title and commencement

1- (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) (Thirty Second Amendment) Rules, 2022.

(2) Rule 2 of the said rules shall be deemed to have come into force with effect from 31 December, 2020 and the remaining rules shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule-70

2- In the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Rules, 1954 (hereinafter referred to as said rules) *for* rule 70 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing rule**	**Column-II** **Rule as hereby subsituted**
70. The person declared as "occupier of a factory" shall deposit as security a sum of rupees **fifty thousand** in cash or in Government securities of the market value of rupees **fifty thousand** or post office cash certificate of the present encashment value of rupees **fifty thousand.** Such security shall be deposited with Collector and shall be retained so long as that person acts as occupier: Provided that, for reasons to recorded in writing, the Collector may dispense with the security deposit or permit the deposit of such smaller security as he may think proper.	70.The person declared as "occupier of a factory" shall deposit as security a sum of **rupees one lakh** in cash or in Governmentsecurities of the market value of **rupees one lakh** or post office cash certificate of the present encashment value of **rupees one lakh**.Such security shall be deposited with Collector and shall be retained so long as that person acts as occupier: Provided that, for reasons to recorded in writing, the Collector may dispense with the security deposit or permit the deposit of such smaller security as he may think proper.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Amendment of rule-89

2- In the said rules, for rule 89 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

Column-1 **Existing rule**	**Column-II** **Rule as hereby subsituted**
89. On receipt of an application for license under rule 88, the Collector may issue a license in Form II, Appendix III. Before granting a license under this rule Collector may demand a security not exceeding rupees **twenty thousand** in cash or Government securities for the due observance of the conditions of the license.	89. On receipt of an application for license under rule 88, the Collector may issue a license in Form II, Appendix III. Before granting a license under this rule Collector may demand a security not exceeding **rupees ten thousand** in cash or Government securities for the due observance of the conditions of the license.

By Order,

(Sanjay R. Bhoosreddy)
Additional chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।